राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 1170/2015
दायरा तिथि 03.08.2015
निर्णय तिथि 12.06.2017

वादी–	बनाम:	प्रतिवादीगण–
मुकेशकुमार पुत्र भूरारामजी जाति घांची निवासी बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1–जोगाराम पुत्र भूरारामजी जाति घांची निवासी बांकली 2–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 12.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा बांकली पटवार सर्कल बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 690 रकबा 2.05 हेक्टर किस्म जवाई नहरी–द्वितीय वार्षिक लगान रू. 19.48 वादी व प्रतिवादी सं.0ें की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आयी हुई है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं.01 का 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.02 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं.03 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं.04 का खातेदारी का निहित है, उपरोक्ते हिस्सा अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का पक्षकारों अर्थात वादी व प्रतिवादी सं.01 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवा कर राजस्व रेकर्ड में अलग–2 खातों का इन्द्राज करने व वादी के बंट व हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु वादपत्र स्वीकार व डिक्री फरमावे। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2068–71, नामान्तकरण दर्ज जमाबंदी संवत् 2068–71 व ट्रेस–नक्शा की सत्यापित प्रतिया पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी सं.01 ने अपने जवाब में वादपत्र के कथनों व तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमि है, वादी ने प्रतिवादी सं.01 से मिलकर पारिवारिक बंटवाडा (Family Sattelment) दिनांक 23.05.2002 को निष्पादित किया है, जिसके अनुसार वादी व अपनी माता ने अपने हक–हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं.01 को सुपुर्द कर दी थी तब से लगातार आज तक उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी सं.01 का ही एकमात्र स्वामित्व व खातेदार के रूप में कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसके अलावा उक्त पारिवारिक बंटवाडा (Family Sattelment) के तहत प्रतिफल में वादी ने ग्राम बांकली में स्थित रहवासीय मकान व मैने बाजार में स्थित दुकान को अपने

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

हक–हिस्से में रखी थी, केवलमात्र हकतर्क करवाना शेष रहा था अर्थात उपरोक्त पारिवारिक बंटवाडा (Family Sattelment) दिनांक 23.05.2002 से लगाय आज तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही उक्त भूमि बाबत् वादी का कोई हक–अधिकार रहा है बल्कि उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर गत् 15 सालों से आज तक एकमात्र प्रतिवादी सं.01 का ही शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के आधार पर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् प्रतिवादी सं.01 कानूनन मालिक व स्वामी बन चुका है। इसलिए वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादपत्र में सही व वास्तविक तथ्य नहीं दर्शाकर बदनियति भावना से यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से इसे मय खर्चा खारिज फरमावे। प्रतिवादी सं.01 ने अपने जवाबदावे के समर्थन में साक्ष्य–दस्तावेज पारिवारिक बंटवाडा (Family Sattelment) दिनांक 23.05.2002 की छाया प्रति पेश की है।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में निम्नलिखित विवाद्यक बिन्दु कायम कर रेकर्ड पर लिए गये।

1– वादी हक हिस्से अनुसार बंटवाडा व निषेधाज्ञा का अधिकारी है?.....(वादी)

2– पूर्व में हुए पारिवारिक समझौता अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी के एकमात्र अधिकारी है, अतः दावा खारिज होने योग्य है?.....(प्रतिवादी सं.01)

3– अनुतोष?

चूंकि प्रश्नगत् मामले में राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली से वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट रेकर्ड पर ली गई, जिसके अनुसार ग्राम बांकली में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 690 रकबा 2.05 हेक्टर राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी की शामलाती खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं.01 द्वारा खरीद सुदा 1/2 हिस्सा व पुश्तैनी 1/6 हिस्सा कुल 2/3 हिस्सा एवं वादी का पुश्तैनी 1/6 हिस्सा तथा 1/6 हिस्सा मॉ द्वारा हकत्याग से प्राप्त कुल 1/3 हिस्सा आता है जिसका वादी विभाजन चाहता है, परन्तु वादी व प्रतिवादी सं.01 सगे भाई है तथा इनका आपस में जरिए लिखत पारिवारिक बंटवाडा हुआ था जो वाद पत्रावली के संलग्न है, उसके अनुसार उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.01 के पक्ष में दी गई है तथा वादी को आवासीय मकान व दुकान दी गई है। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर प्रतिवादी सं.01 का कब्जा काश्त है और उक्त भूमि पर कुआ भी खुदा हुआ है जिस पर प्रतिवादी सं.01 के नाम विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है।

(4) कि प्रश्नगत् मामले में पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति के बारे में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमने पाया कि वादी द्वारा वादपत्र में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की प्रथमतः पुष्टि नहीं होती है बल्कि प्रतिवादी सं.01 द्वारा अपने जवाबदावे में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है अर्थात वादी व प्रतिवादी सं.01 दोनों सगे भाई होने से इनके मध्य दिनांक 23.05.2002 को पारिवारिक बंटवाडा (Family Sattelment) का निष्पादन हो चुका है जिसके अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि व कुआ प्रतिवादी सं.01 के हक–हिस्से में रखा गया है कुएं पर विद्युत कनेक्शन भी प्रतिवादी सं.01 के नाम हो रखा है। इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के फलतः प्रश्नगत् मामले में कायमी तीनों विवाद्यक बिन्दुओं पर अलग–2 विश्लेषण, विवेचनाए व निष्कर्ष जाहिर नहीं करके उक्त तीनों विवाद्यक बिन्दु बहक प्रतिवादी

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

सं.01 विरुद्ध वादी के निर्णित की जाती है और इस संदर्भ में हमारी विधिक राय है कि उपरोक्त कायमी तीनों विवाद्यक बिन्दुओं पर लिए गये निष्कर्ष के बतौर वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादी का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत सरहद मौजा बांकली पटवार सर्कल बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 690 रकबा 2.05 हेक्टर किस्म जवाई नहरी–द्वितीय वार्षिक लगान रू. 19.48 के बारे में बंटवारा किए जाने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 12.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–बांकली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner